न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

दिनांक–05.11.2019

मुकदमा नम्बर 22/2019

श्री मुकेश कुमार उर्फ महेश कुमार पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद जाति जाट निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट 1956

:: निर्णय ::

दिनांक :–31.01.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी खिरोड का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का मोहनवाडी में स्थित खाता संख्या नयाम 302 पुराना 31 में स्थित खसरा नम्बर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 06, 07, 825/6, 826/7, 827/153, 9 कुल किता 13 कुल रकबा 6.1200 हैक्टर स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम सही मुकेश कुमार दर्ज है, लेकिन मोहनवाडी की दुसरे खाता संख्या नया 16 पुराना 99 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 1.50 हेक्टर स्थित है। खाता संख्या नया 16 पुराना 99 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 1.50 हेक्टर मे प्रार्थी का वास्तवितक व सही नाम मुकेश कुमार दर्ज होना चाहिए जबकि इस खाते के राजस्व रिकार्ड में महेश कुमार दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है। सही नाम मुकेश कुमार जो कि खाता सख्या नया 302 पुराना 31 में दर्ज है। प्रार्थी के नाम उनके सम्पूर्ण दस्तावेज व शिक्षा रिकार्ड आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स बैंक पासबुक में मुकेश कुमार दर्ज है तथा सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों के गलती से प्रार्थी का नाम मुकेश कुमार गलत दर्ज कर दिया। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम होने के कारण प्रार्थी ना तो अपनी भूमि पर लोन ले सकता है ना ही किसान समृधी योजना का लाभ ले सकता है व न ही अन्य किसी प्रकार के सरकारी लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए सही नाम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें मे पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी जब ग्राम मोहनवाडी की उपरोक्त खाता संख्या की भूमि जमाबंदी की नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का के पास गया , तो राजस्व रिकार्ड देखकर बताया कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

गलत दर्ज है इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम मोहनवाडी पटवार हल्का मोहनवाडी में प्रार्थी की भूमि स्थित है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रीमान को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नम्बर 01 भूमि धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार व दुरूस्ती सही नाम करवान हेतु पक्षकार बनाया गया है। अन्य सहकाश्तकार के विरूद्ध प्रार्थी ने कोई अनुतोष नही चाहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम मोहनवाडी के भूमि खसरा नम्बर 77 रास्ता 1.50 में प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में महेश कुमार के स्थान पर मुकेश कुमार सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जावे तथा अप्रार्थी नम्बर 1 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थ राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मोहनवाडी के खसरा नम्बर 77 वर्तमान खाता संख्या 16 में महेश कुमार पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/56 जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है, जबकि आम चौक में पूछ–ताछ व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक में महेश कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद दर्ज है, जो कि सही है। जमाबन्दी खाता संख्या 16 मे महेश कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/56 के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद दर्ज किया जाना उचित है। राज पैरोकार रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने की सहमति प्रदान की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के शैक्षिक दस्तावेजात, व राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम मोहनवाडी जमाबन्दी खाता संख्या 16 के खसरा नम्बर 77 मे महेश कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/56 के स्थान पर मुकेश कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.11 17:23:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: